

फर्द अहकाम

गोपाल बनाम राजस्थान सरकार

प्रार्थना पत्र संख्या

विधि 174/2024

आज्ञा विस्तृत रूप से

दिनांक

26.06.2024

विशेष
विवरण

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 को पेश है। प्रार्थी ने निवेदन किया कि ग्राम देवीसिंहपुरा पटवार हल्का अजयराजपुरा भू-अभि.नि. कलवाडा तहसील सांगानेर जिला जयपुर में कृषि भूमि खाता संख्या नया 67 व पुराना खाता संख्या 36 के खसरा नं० 317 / 280 रकवा 0.2800 हैक्टेयर खातेदारी प्रार्थीगण के नाम राजस्व रिकार्ड जमावन्दी में अंकित रही है। प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना पत्र मय शपथ प्रस्तुत कर निवेदन किया कि कृषि भूमि ग्राम देवीसिंहपुरा पटवार हल्का अजयराजपुरा भू-अभि.नि. कलवाडा तहसील सांगानेर जिला जयपुर में कृषि भूमि खाता संख्या नया 67 व पुराना खाता संख्या 36 के खसरा नं० 317/280 रकवा 0.2800 हैक्टेयर में से 0.2400 हैक्टेयर भूमि को अप्रार्थी संख्या दो को जरिये पंजीकृत विक्रय करने के पश्चात शेष रही कृषि भूमि 0.0400 हैक्टेयर कृषि भूमि को पुनः राजस्व रिकार्ड में प्रार्थीगण के नाम अंकित करने के आदेश प्रदान करने की कृपा करे।

प्रार्थना पत्र दर्ज किया जाकर प्रार्थी को प्रार्थना पत्र पर सुना गया। दौराने वहस प्रार्थी ने निवेदन किया कि प्रार्थी कि ग्राम देवीसिंहपुरा पटवार हल्का अजयराजपुरा भू-अभि.नि. कलवाडा तहसील सांगानेर जिला जयपुर में कृषि भूमि खाता संख्या नया 67 व पुराना खाता संख्या 36 के खसरा नं० 317/280 रकवा 0.2800 हैक्टेयर में से 0.2400 हैक्टेयर भूमि को अप्रार्थी संख्या दो को जरिये पंजीकृत विक्रय करने के पश्चात शेष रही कृषि भूमि 0.0400 हैक्टेयर कृषि भूमि को पुनः राजस्व रिकार्ड में प्रार्थीगण के नाम अंकित करने के आदेश प्रदान करने की कृपा करे।

वहस प्रार्थी एवं प्रार्थना पत्र का अवलोकन कराने पर प्रार्थी की ओर से पेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है तहसीलदार सांगानेर को आदेशित किया जाता है कि दिनांक 28.05.2024 के विक्रय पत्र संख्या 2024030222108472 एवं प्रकरण मे वर्णित खसरा नम्बरान् के राजस्व रिकार्ड की जाँच कर ग्राम देवीसिंहपुरा पटवार हल्का अजयराजपुरा भू-अभि.नि. कलवाडा तहसील सांगानेर जिला जयपुर में कृषि भूमि खाता संख्या नया 67 व पुराना खाता संख्या 36 के खसरा नं० 317/280 रकवा 0.2800 हैक्टेयर में से 0.2400 हैक्टेयर भूमि को अप्रार्थी संख्या दो को जरिये पंजीकृत विक्रय करने के पश्चात् शेष रही कृषि भूमि 0.0400 हैक्टेयर कृषि भूमि को पुनः राजस्व रिकार्ड में प्रार्थीगण के नाम अंकित करने के आदेश दिये जाते है। आदेश की पालना हेतु तहसीलदार सांगानेर को तहरीर जारी हो। प्रार्थीगण की फंसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

